

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 सितम्बर 2020—भाद्र 14, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-17-2010-1-पांच(47).- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये तेल कम्पनी के रूप में अधिसूचित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 03-06-2020 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-17-2010-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-17-2010-1-पांच (47), दिनांक 5 सितम्बर, 2020 का अंगेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal the 5th September 2020

No. F A3-17-2010-1-V(47).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, Notifies Reliance BP Mobility Limited as an Oil Company for the purpose of the said sub-section.

2. This notification shall be effective from 3-6-2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.